(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15 / 2025

पंजीकरण सं. :– 2025 / 96

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री उमेश चौरसिया पुत्र श्री गोपाल चौरसिया जाति ब्राह्मण निवासी यादव मोहल्ला, खेडलीगंज अटरू जिला बारां (राज.) (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स नैतिक किराना स्टोर, बस स्टैण्ड रोड, खेडलीगंज अटरू जिला बारां
2. श्री बिजय कुमार सिंह पुत्र श्री बृजकिशोर सिंह (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स पहल एजेन्सीज तह. अटरू जिला बारां
3. प्रो. मैसर्स धेनू श्री डेयरी प्रोडक्ट, खसरा नं. 103 / 2, प्लॉट नं. 37, सालावास जोधपुर

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1–अनुपस्थित खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2–श्री पिंकेश जगरवाल अभिभाषक (अप्रार्थी क्र. 01)
3– श्री अमित अरोड़ा अभिभाषक (अप्रार्थी क्र. 02)
4– अनुपस्थित (अप्रार्थी क्र. 03)

निर्णय दिनांक 27.04.2026

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक दिनांक 30.04.2024 को मैसर्स नैतिक किराना स्टोर, बस स्टैण्ड रोड, खेडलीगंज अटरू जिला बारां (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री उमेश चौरसिया पुत्र श्री गोपाल चौरसिया जाति ब्राह्मण (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.04.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई एवं आदेश क्रमांक / प. 5(01)चिस्वा / ग्रुप–3 / ई–5095 / 2024 दिनांक 28.06.2024 को अधिसूचित किया गया एवं आदेश क्रमांक / आयुक्ता. / संस्था / 2024 / 1211 दिनांक 08.07.2024 को अग्रिम आदेशों तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन करने के लिए अनुमति प्रदान की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **धेनु सरस शुद्ध घी** 10 लीटर मूल गत्ते पैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **धेनु सरस शुद्ध घी** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **धेनु सरस शुद्ध घी** 200 एमएल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री उमेश चौरसिया पुत्र श्री गोपाल चौरसिया जाति ब्राह्मण (विक्रेता एवं मालिक) को 600 / – रूपये (अक्षरे छः सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **धेनु सरस शुद्ध घी** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–2079 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–2079 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री उमेश चौरसिया पुत्र श्री गोपाल चौरसिया जाति ब्राह्मण (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/757 दिनांक 16.05.2024 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 458/PHL/Kota/Act/2024/513 दिनांक 13.05.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **धेनु सरस शुद्ध घी** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 25.11.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 01 व 02 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 03 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया था जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी क्रम 03 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी क्रम 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01 व 02 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **धेनु सरस शुद्ध घी** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 458/PHL/Kota/Act/2024/513 दिनांक 13.05.2024 के अनुसार,खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी क्रम 01 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 01 के द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ को न तो स्वयं ने बनाया और न हीं कोई मिश्रण किया। अप्रार्थी क्रम 01 द्वारा जिस स्थिति में माल खरीदा गया, उसी स्थिति में बेच दिया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी क्रम 01 छोटा दुकानदार है जो किराने की दुकान लगाकर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करता है।

अप्रार्थी क्रम 02 के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 02 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी क्रम 03 से बिल नं. 1762 दिनांक 29.02.2024 से खरीद कर उसी अवस्था में अप्रार्थी क्रम 01 को बिना किसी मिलावट के सीलबंद अवस्था में बेचान किया गया था जिसमें अप्रार्थी क्रम 02 द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी क्रम 01 व 02 के खिलाफ प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01 व 02 की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 03 अनुपस्थित है। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 01 से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **धेनु सरस शुद्ध घी** खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या 458/PHL/Kota/Act/2024/513 दिनांक 13.05.2024 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 01 व 02 को दोषमुक्त किया जाकर, अप्रार्थी क्रम 03 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/– रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 03 को उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 03 बावजूद सूचना के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उनको पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)